


मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय
:: आदेश ::



भोपाल, दिनांक 31/10/2020
26/10/2020

क्रमांक एफ 12-07/2019/सबह/मैडि-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अंतर्गत ड्रग रेग्युलेटरी सिस्टम का सुदृढीकरण, खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का निर्माण एवं परिचालन किये जाने एवं औषधि प्रशासन कार्यालय हेतु 58 पद एवं औषधि प्रयोगशाला हेतु 128 पद तथा खाद्य प्रशासन के अंतर्गत जबलपुर एवं ग्वालियर में प्रयोगशालाओं हेतु कुल 26 पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

मानव संसाधन, औषधि प्रशासन कार्यालय हेतु			
जिले का नाम	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	7वां वेतनमान
भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर एवं इंदौर	संयुक्त नियंत्रक (औषधि)	1	79900-211700 एल 14
	उप नियंत्रक (औषधि)	3	67300-206900 एल 13
	वरिष्ठ औषधि निरीक्षक	6	56100-177500 एल 12
	औषधि निरीक्षक	32	36200-114800 एल 9
	डाटा एंट्री ऑपरेटर	16	19500-62000 एल 4
	कुल	58	
	मानव संसाधन औषधि प्रयोगशाला हेतु		
	संयुक्त नियंत्रक (औषधि परीक्षण प्रयोगशाला)	1	79900-211700 एल 14
	ड्रग एनालिस्ट ग्रेड -2	6	56100-177500 एल 12
	ड्रग एनालिस्ट ग्रेड -3	4	28700-91300 एल 7
	फार्माकोलोजिस्ट	2	56100-177500 एल 12

	माइक्रोबायोलॉजिस्ट	3	56100-177500 एल 12
	असिस्टेंट ड्रग एनालिस्ट	36	28700-91300 एल 7
	लेब अटेडेंट	10	18000-56900 एल 3
	कम्प्यूटर ऑपरेटर	8	19500-62000 एल 4
	कुल	70	
	कुल योग	128	
मानव संसाधन खाद्य प्रयोगशाला हेतु			
जिले का नाम	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	
जबलपुर एवं ग्वालियर	खाद्य विश्लेषक	2	67300-206900 एल 13
	वरिष्ठ रसायनज्ञ	4	56100-177500 एल 12
	रसायनज्ञ ग्रेड -2	4	28700-91300 एल 7
	लेब टेक्नीशियन	8	28700-91300 एल 7
	प्रयोगशाला सहायक	8	19500-62000 एल 4
	कुल	26	

उक्त आदेश वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक दिनांक द्वारा महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर को पृष्ठांकित किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग, मंत्रालय,,
पृष्ठांकन क्र० 71 / सी.आर. 432 / वज्र-6
/ चार दिनांक 9/10/2020 द्वारा महालेखाकार,
मध्य प्रदेश ग्वालियर की ओर एक अतिरिक्त प्रति सौंपित।
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

स्थायी आदेश नं० 318-20
(नरसिंह निगम नागर)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमांक एफ 12-07/2019/सत्रह/भेडि-3

भोपाल, दिनांक 21/08/2020

20/10/2020

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय म.प्र. भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को आदेश की संलग्न 02 अतिरिक्त प्रतियाँ पृष्ठांकित करने हेतु।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
6. निज सचिव, मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र. भोपाल।
7. आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन म.प्र.भोपाल।
8. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल (आदेश वेबसाइट पर अपलोड करावे)।
9. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश भोपाल।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्य प्रदेश ।
11. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश ।
12. कोषालय अधिकारी, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर मध्यप्रदेश ।

की ओर इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24/07/2019 के संदर्भ में, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

13. गार्ड फाईल।

31-8-20

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

